न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 06/2010

1. मोहन आयु 50 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति भाट निवासी फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मोहनगढ जिला जैसलमेर ।
2. मांगीलाल आयु 45 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति भाट निवासी फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मोहनगढ जिला जैसलमेर ।
3. गोविन्द आयु 40 वर्ष आत्मज श्री शोजी जाति भाट निवासी फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मोहनगढ जिला जैसलमेर ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण उर्फ छोटू आत्मज रोडू जाति गुर्जर निवासी दडघसा का बाडा फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. शंकर आत्मज रोडू जाति गुर्जर निवासी दडघसा का बाडा फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. हेमराज आत्मज शंकर जाति गुर्जर निवासी दडघसा का बाडा फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में वादीगण के पिता श्री शोजी आत्मज श्री पोला जाति भाट के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 19/246 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 20/1 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा कुल 02 किता कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता के खातेदारी में दर्ज है । वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है एवं वादीगण उनके एकमात्र

जीवित उत्तराधिकारी हैं । इस कारण वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण अपने पिता के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमियों के मालिक व स्वामी हैं । करीब 25 वर्ष पूर्व गॉव में अकाल पड जाने के कारण वादीगण के पिता उक्त भूमियों को प्रतिवादी कम 1 को 300/– रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष से जुवारे पर देकर खाने– कमाने के लिए बाहर चले गये । गत वर्ष 2006 में वादीगण प्रतिवादी कम 1 से जुवारे की राशि प्राप्त करने आया तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे ।

3. अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादीगण को दिलाया जावे एवं जुलाई 2006 से जब तक प्रतिवादीगण विवादित भूमियों पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहे वादीगण को प्रतिवादीगण से 300/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष हर्जा भी दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.07.2009 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2009 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद मियाद बाहर मानकर खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है और अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2009 निरस्त फमराया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था और कथन किया था कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के मालिक हैं । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को 300/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष जुवारे पर दी थी । प्रतिवादी जुवारे की रकम अदा करते आ रहे थे सन् 2006 में अपीलान्ट वादीगण जुवारे की रकम लेने आए तो प्रतिवादी ने जुवारे की रकम देनरे से इंकार कर दिया और वादीगण की भूमि पर वादीगण का स्वामित्व होने से इंकार कद दिया । इस पर बेदखली का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था । प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। वादीगण की साक्ष्य लेकर दिनांक 30.07.2009 को दावा वादी खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से वाद अवधि बाधित माना है जो कि विधिक त्रुटि है । प्रतिवादीगण का कब्जा सन् 2006 से बहैसियत अतिक्रमी है । सन् 2006 के बाद प्रतिवादीगण ने भूमि का जुवारा देने से व भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को देने से इंकार कर दिया था ।

वादीगण को वादकारण भी सन् 2006 में उत्पन्न हुआ है इस प्रकार वादीगण का वाद अवधि मध्य है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के कथनों के विपरीत पत्रावली में कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी वादीगण का वाद खारिज कर दिया । केयरटेकर को किसी प्रकार के अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2009 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2016 (2) पेज 1116 उद्धरत की।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादीगण के द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया गया है । प्रतिवादीगण क़े खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है । वादीगण की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में जो शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 के रूप में पेश किया गया है इस शपथ पत्र की वादी के द्वारा न्यायालय में ताईद नहीं की गई है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है । पेश किये गये दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 को भी प्रदर्श नहीं करवाया गया है और मृत्यु प्रमाण पत्र की भी फोटो प्रति पेश की गई है जो प्रमाणित नहीं है और उसे भी प्रदर्श नहीं करवाया गया है । वादग्रस्त आराजी मुताबिक जमाबन्दी श्योजी के खाते में दर्ज है । वादीगण स्वयं को श्योजी के वारिस बताते हैं परन्तु श्योजी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रदर्श नहीं करवायी गई है जो कि अनिवार्य है ।

9. इन तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2009 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 08 में किये गये विवेचन के अनुसार सीपीसी की पालना में पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा